... बेअन्त सिंह जाति जटसिख ... इन्द्रगढ़ ... संगरिया ... हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम

... पुत्र बेअन्त सिंह जाति जटसिख ... इन्द्रगढ़

... कौर पत्नी बेअन्त सिंह जाति जटसिख ... इन्द्रगढ़ ... संगरिया

... कौर पत्नी जगजीत सिंह जाति जटसिख ... इन्द्रगढ़ ... हनुमानगढ़

... सिंह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख ... इन्द्रगढ़

... कौर पुत्री जगजीत सिंह जाति जटसिख ... इन्द्रगढ़

... राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

—:आदेश:—

... प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) ... के संबंध में ... प्रार्थी के नाम चक 4 आई.डी.जी. खाता 106/65 खाता सतनाम सिंह ज.स. 2071–74 ... दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कुल आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है– चक 4 ... खाता 106/65 खाता सतनाम सिंह ज.स. 2071–74 प.न. 139/125 मु.न. 24 ... न. 16/1/.228 16/2/.025 गै.मु.खाला 17/.253 18/.253 21/.253 23/.253 ... 253 25/1/.228 25/2/.025 गै.मु.खाला प.न. 139/126 मु.न. 25 किला न. 1/.253 ... 253 3/.253 4/.253 7/.253 कुल 3.036 हे० आराजी प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज ... 4 आई.डी.जी. खाता 106/65 खाता सतनाम सिंह ज.स. 2071–74 में प्रार्थी के कब्जा ... में आने जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। यह कि चक 4 आई.डी.जी. खाता ...8/57 में प.न. 139/125 मु.न. 24 किला न. 5/1 अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जाकाश्त में ... चक 4 आई.डी.जी. खाता सं. 37/27 प.न. 6/1 व 15/1 जगजीत सिंह पुत्र दल सिंह ... वारिसान अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के कब्जाकाश्त में है। जगजीत सिंह पुत्र दल सिंह फौत हो ... है। यह कि चक 4 आई.डी.जी. खाता. 106/65 खाता सतनाम सिंह ज.स. 2071–74 में ...र्थी के कब्जाकाश्त की प.न. 139/125 मु.न. 24 के किला न. 16/1/.228 16/2/.025 ...मु.खाला 17/.253 18/.253 21/.253 23/.253 24/.253 25/1/.228 25/2/.025 ...मु.खाला प.न. 139/126 मु.न. 25 किला न. 1/.253 2/.253 3/.253 4/.253 7/.253 कुल 3.036 हे० आराजी में आने जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। जिनमें आने

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। व इसी चक के [illegible] 38/1 [illegible]
सं. 1 व 2 के कब्जाकाश्त की प.न. 139/125 मु.न. 24 किला [illegible] 5/1 [illegible]
मुरब्बा सं. 37/27 में अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के कब्जा काश्त की प.न. 139/125 मु.न. 24
किला न. 6/1 व 15/1 में उत्तर से दक्षिण में गै.मु. खाला से [illegible]
साथ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया [illegible] प्रार्थी [illegible]
जा सकता है। इसके अलावा प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने [illegible]
नहीं है। प्रार्थी रास्ता मे आई भूमि के बदले में डी.एल.सी. [illegible]
को तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे प्रार्थी के [illegible]
त की प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र की दफा 5 [illegible]
डेक रास्ता मंजूर करवा दें तथा प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के बदले डी.एल.सी. [illegible]
देने को तैयार है तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन [illegible]
अप्रार्थीगण प्रार्थी के उक्त निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible]
कि अप्रार्थी सं. 6 को लैण्डहोल्डर होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार [illegible]
है कि प्रार्थना पत्र बाबत मंजूर कराने रास्ता का है जो कि 2/– रुपए के [illegible]
[illegible] समायत अदालत हाजा व अंदर मियाद है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] जाकर चक 4 आई.डी.जी. में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जाकाश्त की प.न. 139/125 मु.न. 24 किला न. 5/1 व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के कब्जाकाश्त की प.न. 139/125 मु.न. 24 किला न. 6/1 व 15/1 में उत्तर से दक्षिण में गै.मु. खाला से चिपटा हुआ पत्थर [illegible] के साथ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे व उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता के रूप में दर्ज की जावे व उक्त रास्ता मौका पर चालू करवाया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के बदले मुताबिक डी.एल.सी. रेट रास्ता की कृषि भूमि की दोगुना राशि [illegible] को तैयार है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस [illegible] किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की [illegible] रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1598 दिनांक 22.05.2025 द्वारा प.न. 139/125 मु.न. 24 के किला नं. 5,6,15 में रास्ता दिया जाना व प्रार्थी के पास आवेदित रास्ता के अलावा कोई विकल्प नही होना एवं पक्षकार आपस में सहमत नहीं होना तथा प्रार्थी को [illegible] की अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा करते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब/लिखित बहस तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को की अत्याधिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि र्थी की कृषि भूमि चक 4 आईडीजी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्दा रास्ते का भाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु त्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्टीए में अप्रार्थीगण के रकबा में से चक 4 आईडीजी के प.न. 139/125 मु.न. 24 किला न. /1, 6/1, 15/1 में उतर से दक्षिण गै.मु.खाला से चिपता हुआ पत्थर लाईन के साथ–साथ -2 बिस्वा चौड़ा रास्ता एव किला नम्बर 16/1 में उतर से दक्षिण 6 बिस्वा लम्बा व 2 बिस्वा ड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थी के नाम से चक 4 ईडीजी में दर्ज उक्त कृषि भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 को किला नं. 16/2 में किला 15 के चिपती 6 बिस्वा भूमि का एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की क्त मु.न. 24 की भूमि में कि.न. 6/2 से चिपती किला नं. 15/1 की 2 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया